अगर आप मिलने वाली सेवा से संतुष्ट नही हैं तब क्या करें?

अगर आप मिलने वाली सेवाओं से संतुष्ट नही हैं तो, हम चाहते हैं कि आप हमें बतायें। आपको शिकायत करने का अधिकार है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका आप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।

अगर आपको कोई शिकायत है तो, कृप्या इन बातों का पालन करें।

- स्टॉफ के किसी सदस्य को बतायें और इसका अनौपचारिक तरीके से समाधान करने की कोशिश करें।
- अगर इससे समाधान नही होता है तो, एक औपचारिक शिकायत करें, और अगर ज़रुरी है तो आप अपील कर सकते हैं।
- अगर आप अभी भी असंतुष्ट हैं तो, ज़ेल और परीवीक्षा ओमबेडसमैन (प्रीज़नस और प्रॉबेशन ओमबेडसमैन) से एक स्वतंत्र जाँच-पड़ताल कराने के लिए कहें।
- शिकायत करने के बारे में अधिक सूचना आप अपने परिवीक्षा ऑफिस (प्रॉबेशन ऑफिस) द्वारा प्रदान किए गये पत्रक से प्राप्त कर सकते हैं।

आखीर में, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आप इस पत्रक की सारी बातें समझ गये हैं। कृप्या इसको सुरक्षित रखें, और किसी भी समय किसी भी चीज के बारे में अधिक सूचना प्राप्त करनें से डरें नहीं।

मुझे पत्रक मिल गया है और इसके विवरणों के बारे में मुझे बता दिया गया है।

....

(हस्ताक्षर)

यह पत्रक अन्य भाषाओं में उपलब्द्ध है।

अगर आप इसे अन्य भाषा में चाहते हैं तो कृप्या इसके लिए पूछें।

आप और परिबीक्षा सेवा (प्रॉबेशन सर्विस)

इसको बेसिक स्कील्ज़ ऐज़ेन्सी द्वारा मानयता मिली हुई है।

इंगलैंड और वेल्स के लिए
नेशनल प्रॉबेशन सर्विस (राष्ट्रीय परिवीक्षा सेवा)

Horseferry House, Dean Ryle Street,
London SW1P 2AW

NATIONAL PROBATION SERVICE
राष्ट्रीय परिवीक्षा सेवा (नेशनल प्रॉबेशन सर्विस)
इंगलैंड और वेल्स के लिए

लागू करना, पुर्नस्थापित करना और सार्वजनिक सुरक्षा

यह पत्रक आपको समुदाय के सज़ा के आदेशों के, समुदाय के पुर्नस्थापित करने के आदेशों और जेल से लाईसेंस पर रिहा होने वाली निगरानी के बारे में आम सूचना देता है। आपका निरीक्षण अधिकारी आदेश होने पर अपने आप आपको इसके बारे में विस्तृत सूचना देगा।

ऑफिस ....

टेलीफ़ोन नम्बर ....

निरीक्षण अधिकारी ....

आपको आवशयक रुप से क्या करना चाहिए

- मुसीबतों से दूर रहें।
- अगर आप अपना पता या फोन नम्बर बदलते है, तो अपने निरीक्षक को तुरंत बतायें।
- आपको जब आने के लिए कहा जाये तो ज़रुर आयें।
- समय पर उपस्थित हों।
- स्टॉफ को अपने घर मिलने आने दें।
- न्यायालय द्वारा आदेश की गई किन्हीं भी अतिरिक्त ज़रुरतों को पूरा करें।
- अगर आप ज़ेल से रिहा कर दिए गये हैं तो, अपने लाईसैंस द्वारा बताई गई किन्हीं भी अतिरिक्त ज़रुरतों को पूरा करें।
- अपने निरीक्षण अधिकारी द्वारा पूछी गई किसी भी बात में पूरी तरह से भाग लें। इसमें किसी कार्यक्रम में भाग लेना, एक के लिए एक का कार्य या कोई अन्य चीज़ हो सकती है जो कि आपको दिए गये आदेश के एक भाग के रुप में, करने के लिए कही गई हो।

आपको क्या नही करना चाहिए

- आप दिये गये निर्धारित समय (अपाईन्टमैंट) को न भूलें या देर से न पहुँचें।
- किसी भी प्रकार की नशीली दवाई या शराब के नशे में वहाँ न जायें।
- आप अन्य व्यक्तियों को असुविधा न पहुँचायें या डरायें नहीं।
- आप किसी भी प्रकार के जातिय, लिंग या कोई अन्य घृणोत्पादक कथन न कहें।

तब क्या होता है अगर आप दिये गये निर्धारित समय (अपाईन्टमैंट) पर नही पहुँचते हैं

- अगर आप दिये गये निर्धारित समय (अपाईन्टमैंट) पर नही पहुँचते हैं, तो आपको वापिस न्यायालय जाना पड सकता है।
- आपको अपने अपराध की दुवारा सजा सुनाई जा सकती है।
- अगर आप लाईसैंस पर हैं तो, आपको दुवारा जेल बुलाया जा सकता है।
- अगर आपके पास उपस्थित न हो पाने का कोई उचित कारण है तो, आप इसके बारे में हमें जहाँ तक सम्भव हो जल्दी से जल्दी बतायें। आप हमें इसके बारे में आपको दिये गये निर्धारित समय (अपाईन्टमैंट) से पहले सूचित करें।
- अगर आप हमें सूचित नही करते हैं, तब हम आपसे सम्पर्क करेंगे या इसका कारण जानने के लिए आपके घर पर फोन करेंगें।
- आपसे निर्धारित समय (अपाईन्टमैंट) पर उपस्थित न हो पाने के कारण के बारे में कोई प्रमाण दिखाने के लिए पूछा जा सकता है। हम इस बात का निर्णय करेंगे कि आपका कारण उचित है या नही।

आप किन अपेक्षाओं के अधिकारी हैं

- आप अपेक्षा कर सकते है कि आपसे निरंतर समय पर मिला जाये।
- आप इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि आपको सभी बातें इस प्रकार से बताई जायें जिससे कि आप उन्हें समझ सकें।
- आप अपने लिए बनाई गई निरीक्षण योज़ना के कुछ भागों के बारे में राय देने की अपेक्षा कर सकते हैं।
- आप अपने साथ अच्छे और आदर के व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं। इसमें यह शामिल है, हमें पूर्व सूचित करने पर, धार्मिक या अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उपस्थित होने की अनुमती।
- आप अपने लिए बनाये गये सभी प्रमाणों (रिकार्ड) को देखने की आशा कर सकते हैं, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहाँ पर उनको न देखने के लिए समुचित कारण हैं।
- आपको अपने प्रमाणों (रिकार्ड) को देखने की आज्ञा नही होगी अगर इससे:
    - आपको या किसी अन्य व्यक्ति को हॉनी होती है;
    - किसी पुलिस की जाँच-पड़ताल या किसी अपराध को पहचानने में बाधा डालता है;
    - परिवीक्षा सेवा के बाहर किसी के साथ सूचना की गोपनीयता को रखने के समझौते को तोड़ता हो, जैसे कि मनोचिकित्सक या आपके अपराध का शिकार हुआ व्यक्ति।